5/6/17 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। बार बार आवाज लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अत: इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया मौजा देलवारा पटवार मण्डल देलवारा तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1163/79 रकबा 0.5400 हे भूमि प्रार्थी स्वयं की खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसका कोई सीमा नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। इसलिए उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया बहस सुनी गई। प्रार्थी जेर बहस प्रार्थी आराजी का खातेदार होकर इन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अत: तहसीलदार डूंगला को 2000/- दो हजार रुपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में

बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में
दखल दिये मौजा डेलवास पटवार मण्डल डेलवास की
आराजी नम्बर 1163/79 रकबा 0.5400 हे. भूमि की पत्थरगढ़ी
मुकम्मल तौर पर की जावे। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन
दिनांक 5/7/19 तक प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होनेपर
संलग्न पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला